[1]प्ररूप सं. 3गट

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से घरेलू अनुसंधान और विकास सुविधाओं में सहयोग के लिए और उस सुविधा के लिए रखे गए लेखाओं की संपरीक्षा के लिए करार करने के लिए आवेदन पत्र

भाग क

1. कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता, टैलेक्स/फैक्स/फोन नम्बर सहित।...

2. कंपनी का स्थायी खाता संख्यांक (पेन)।..

[2][3. *कंपनी के ऊपर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त या मुख्य आय-कर आयुक्त या प्रधान आय-कर महानिदेशक या आय-कर महानिदेशक का पता, फोन नं.।* ....

3अ. *कृपया कंपनी की प्रकृति और कारबार/कार्यकलाप को विनिर्दिष्ट करें–*

(क) जैव प्रौद्योगिकी कारबार; ....

(ख) वस्तु या चीजों का विनिर्माण/उत्पादन (कृपया उत्पाद विनिर्दिष्ट करें)।] ....

4. पिछले तीन वर्ष के दौरान कंपनी के पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन।

5. पिछले तीन वर्ष के दौरान कंपनी के वैज्ञानिक अनुसंधान पर, भूमि और भवनों पर हुए व्यय को पृथक्-पृथक् बताते हुए वार्षिक व्यय।

6. कृपया विद्यमान घरेलू अनुसंधान और विकास सुविधाओं की प्रकृति के ब्यौरे दें, जिसके अंतर्गत घरेलू अनुसंधान और विकास सुविधा (केन्द्र) का पता भी है।

7. कंपनी के घरेलू अनुसंधान और विकास केन्द्र को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण सं., तारीख और मान्यता की विधिमान्यता।

8. कंपनी द्वारा अनुध्यात वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रस्तावित उद्देश्य।

भाग ख

करार

....(जिसे इसमें इसके पश्चात् पहला पक्षकार कहा गया है) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् दूसरा पक्षकार कहा गया है) ने निम्नलिखित करार करने का विनिश्चय किया है कि–

(*i*) पहला पक्षकार, दूसरे पक्षकार द्वारा अनुमोदित की जाने वाली घरेलू अनुसंधान और विकास सुविधा बनाए रखेगा,

[2][(ii) *प्रथम पक्षकार द्वारा पूर्वोक्त अनुसंधान और विकास सुविधा का अनन्य रूप से उपयोग अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए या किसी पात्र चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन के लिए किया जा रहा है,*

(iii) *प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार को अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन जैव प्रौद्योगिकी या किसी पात्र चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य को करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगा।*]

(*iv*) पहला पक्षकार वैज्ञानिक अनुसंधान पर, जिसके अंतर्गत घरेलू अनुसंधान और विकास सुविधा भी है, होने वाले राजस्व और पूँजी, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए पृथक् लेखे रखेगा, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) में यथा परिभाषित अकाउंटेंट द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षित किया जाएगा और उसकी एक प्रति धारा 35(2कख) के अधीन कटौती का दावा करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी के साथ संलग्न की जाएगी,

---

1. आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1998 द्वारा 1.4.1998 से अंतःस्थापित।
2. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा **1.7.2016** से प्रतिस्थापित।

(*v*) दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार द्वारा धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन और उक्त घरेलू अनुसंधान और विकास सुविधा की, उसके उद्देश्यों के अनुसार और पहले पक्षकार द्वारा उक्त अनुसंधान और विकास सुविधा पर किए गए व्यय की प्रमाणिकता के प्रति समाधान हो जाने पर, पहले पक्षकार द्वारा प्ररूप सं. 3गट में आवेदन किए जाने की तारीख [3]**[***प्रथम पक्षकार के ऊपर अधिकारिता रखने वाला प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त या मुख्य आय-कर आयुक्त या प्रधान आय-कर महानिदेशक या आय-कर महानिदेशक 120 दिन की अवधि के भीतर***]** अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यह करार तारीख...को किया गया

पहला पक्षकार

....

....

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम और पता)

स्थान ....

तारीख ....

साक्षी

....

हस्ताक्षर ....

(नाम और पता) ....

स्थान ....

तारीख ....

दूसरा पक्षकार

....

सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के/की ओर से हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ....

साक्षी

....

हस्ताक्षर

(नाम और पता)

स्थान ....

तारीख ....

3. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा **1.7.2016** से प्रतिस्थापित।

भाग ग

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

हम यह वचनबंध करते हैं कि हम :

(*i*) वैज्ञानिक अनुसंधान पर, जिसके अंतर्गत घरेलू अनुसंधान और विकास सुविधा भी है, होने वाले राजस्व और पूँजी, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए पृथक् लेखे रखेंगे, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) में यथा परिभाषित अकाउंटेंट द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षित किया जाएगा और उसकी एक प्रति धारा 35(2कख) के अधीन कटौती का दावा करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी के साथ संलग्न की जाएगी;

(*ii*) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

[4]**[**(iii) *अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन जैव प्रौद्योगिकी या किसी पात्र चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य को करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करना;*

(iv) *सुनिश्चित करना कि कंपनी अधिनियम की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी उत्पाद का विनिर्माण नहीं करती है;*

(v) *सुनिश्चित करना कि कंपनी वार्षिक रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए और आय-कर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए तैयार की गई कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी में अनुसूचियों/लेखाओं पर टिप्पणों में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा के लिए पूंजी और राजस्व व्यय को उपदर्शित करेगी;*

(vi) *आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के* स्पष्टीकरण (2) *में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व अनुमोदित अवधि के लिए उपाबंध 1 और उपाबंध 2 के अनुसार प्रत्येक वर्ष सूचना प्रस्तुत करेगी;*

(vii) *सुनिश्चित करना कि अनुमोदित सुविधा द्वारा अर्जित आस्तियों का उपयोग केवल अनुमोदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा और उनका निपटान सचिव, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।***]**

....

....

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम और पता)

स्थान ....

तारीख ....

टिप्पण :

1. पूर्ण रूप से भरे गए आवेदनों के छह सेट सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे।
2. तुलनपत्र सहित सबसे अंतिम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जाएगी।
3. घरेलू (अनु. और वि.) केन्द्र की वै. और औ.अनु.वि. की मान्यता की एक प्रति संलग्न करें।

[5]**[उपाबंध-1**

(क) अधिनियम की धारा 35(2कख) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रत्येक अनुसंधान और विकास सुविधा के संबंध में सूचना पृथक् रूप से प्रस्तुत की जानी है।

1. कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता	
2. कंपनी का स्थायी लेखा संख्या	
3. पूर्व वर्ष	
4. निर्धारण वर्ष	

4. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा **1.7.2016** से प्रतिस्थापित।
5. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा **1.7.2016** से अंतःस्थापित।

5. विहित प्राधिकारी को अनुमोदन के समय दर्शित प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर एक संक्षिप्त टिप्पण। मूल रूप से उपदर्शित परियोजनाओं के स्कोप के संबंध में किन्हीं परिवर्तनों पर प्रकाश डाला जा सकता है।
6. पूर्व वर्ष के दौरान शुरू की गई किन्हीं अतिरिक्त परियोजनाओं के ब्यौरे
7. पूर्व वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास अवसंरचना में परिवर्तनों, यदि कोई हों, के ब्यौरे
8. पूर्व वर्ष के दौरान वाणिज्यकृत की गई अनुसंधान और विकास उपलब्धियों और प्रौद्योगिकीयों के ब्यौरे
9. पूर्व वर्ष के दौरान अभिप्राप्त और/या फाइल किए गए पेटेंट के ब्यौरे
10. अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र में किन्हीं अन्य परिवर्तनों के ब्यौरे

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि पूर्वोकत ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम और पता)

तारीख : ....

स्थान : ....

उपाबंध-2

अधिनियम की धारा 35(2कख) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुसंधान और विकास सुविधा पर उपगत व्यय के ब्यौरे

1. निर्धारण वर्ष
2. पूर्व वर्ष
3. अनुसंधान और विकास सुविधा की अवस्थिति
4. व्यय के ब्यौरे : (लाख रुपए में)

अ. (i) भूमि
(ii) भवन

आ. पूंजी व्ययः
(i) उपस्कर
(ii) अन्य
(क) ....
(ख) ....
(ग) ....
(iii) योग

इ. राजस्व व्ययः
(क) ....
(ख) ....
(ग) ....
योग

ई. अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र पर कुल व्यय (जिसके अंतर्गत भूमि और भवन नहीं है)

उ. निपटान की गई/अंतरित आस्तियों के ब्यौरे।

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्वोक्त दावा किया गया व्यय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम और पता)

तारीख : ....

स्थान : ....]